रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1971/चैत्र 6, 1893

No. 55] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1971/CHAITRA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th March 1971

G.S.R. 459.—In pursuance of sub-section (1) of section 4 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby sanctions the issue of twenty thousand shares of the Central Warehousing Corporation of the value of one thousand rupees each amounting to two crores of rupees as its second issue out of the total authorised share capital of twenty crores of rupees divided into two hundred thousand shares of the value of one thousand rupees each.

[No. F. 26-20/66-S.G.II.]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1971

सा० का० नि० 159—भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की एक-एक हजार रुपये के दो सौ हजार शेयरों में विभाजित बीस करोड़ रुपये की कुल

प्राधिकृत शेयर पूंजी में से कुल दो करोड़ रुपये के एक-एक हजार रुपये मूल्य के बीस हजार शेयरों को, इसके दूसरे पुरोधरण के रूप में पुरोधृत करने की मंजूरी देती है ।

[सं० एफ० 26-20/66-एस०जी०II]

G.S.R. 460.—In pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby specifies the period upto the end of the year 1972 as the period by which the sixty per cent of the share capital of the second issue of the twenty thousand shares of the Central Warehousing Corporation may be subscribed by the Institutions mentioned in column (1) of the Table below in proportion mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table:

TABLE

Name of the institution	Proportion of share capital which may be subscribed
(1)	(2)
(a) State Bank.	Upto Rupees twenty lakhs.
(b) Other scheduled banks	Upto Rupees twentyfive lakhs.
(c) Co-operative societies.	Upto Rupees five lakhs.
(d) Insurance companies, investment trusts and other financial institutions.	Upto Rupees sixty lakhs.
(e) Recognised associations and companies dealing in agricultural produce or any notified commodity.	Upto Rupees ten lakhs.

[No. F. 26-20/66-S.G. II.]

सा०का०नि० 460.—भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, 1972 के वर्ष के अन्त तक की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस तक केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के बीस हजार शेयरों के दूसरे पुरोधरण की शेयर पूंजी का साठ प्रतिशत के सम्मे निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित संस्थाओं द्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित अनुपात में अभिदाय किया जा सकता है;

सारणी

संस्था का नाम	शेयर पूंजी का वह अनुपात जो अभिदाय किया जा सकता है
(1)	(2)
(क) स्टेट बैंक . .	बीस लाख रुपये तक
(ख) अन्य अनुसूचित बैंक . .	पच्चीस लाख रुपये तक
(ग) सहकारी सोसाइटियां . .	पांच लाख रुपये तक
(घ) बीमा कम्पनियां, विनिधान न्यास और अन्य वित्तीय संस्थाएं । . .	साठ लाख रुपये तक
(ङ) कृषि उत्पाद या अधिसूचित किसी भी वस्तु में व्यवहार कर रहे मान्यता प्राप्त संगम और कम्पनियां । . .	दस लाख रुपये तक

[सं० एफ० 26-20/66-एस० जी० II]

G.S.R. 461.—In pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby fixes the minimum rate of annual dividend, guaranteed by it on the twenty thousand shares of the second issue of the Central Warehousing Corporation at three and a half per cent per annum.

[No. F. 26-20/66-S.G.II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

सा० का० नि० 461.—भाण्डागारण, निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अपने द्वारा प्रत्याभूत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के दूसरे पुरोधरण के बीस हजार शेयरों पर साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष वार्षिक लाभांश की न्यूनतम दर नियत करती है।

[सं० एफ० 26-20/66-एस० जी० II]

आर० बाला सुब्रह्मण्यन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971